FORM III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम अलवर

उनवान रहमान बनाम एस.एच.ओ. अकबरपुर

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट मुकदमा नम्बर 15/41/2025 दा0 नंबर 05.05.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2025	पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप सीबीसी एमएस 1 3टी रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-29-GB-2259 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना अकबरपुर से अभिशंषा/ टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1654 दिनांक 08.06.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो स्थानीय पुलिस को कोई ऐतराज नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा दो पृथक–पृथक तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/ जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी अकबरपुर को जब्तशुदा	

वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप सीबीसी एमएस 1 3टी रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-29-GB-2259 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)